

राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट, जिला श्रीगंगानगर

Email- gehindumalkot@gmail.com, Phone 0154-2440056

क्रमांक जीसीजी/2022/2316

दिनांक 22.08.2022

विज्ञप्ति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ10विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै. /दिशा निर्देश/21/81 दिनांक 14.07.2022 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 की अनुपालना में महाविद्यालयों में अध्ययन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा "विद्या संबल योजना" के अन्तर्गत निम्न विषयों में पात्र व्यक्तियों से गेस्ट फेकल्टी के रूप में परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन आवेदन दिनांक 03.09.2022 सांयकाल 03:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन मय संलग्नक व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। ई-मेल से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होंगे इस हेतु महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थी ही आवेदन करें। निजी अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। गेस्ट फेकल्टी में आमंत्रित शिक्षकों से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जावेगा। गेस्ट फेकल्टी से निर्धारित शपथ पत्र भरवाकर लिया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप, न्यूनतम योग्यता, शर्तें, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर आदि द्वारा आदेश/माननीय न्यायालय के फैसलों के अनुरूप होगी। आवेदन का प्रारूप व अन्य जानकारी महाविद्यालय की वेबसाईट- <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gchindumalkot> पर उपलब्ध है।

क्र. सं.	विषय का नाम	रिक्तियों की संख्या
1	हिन्दी साहित्य	01
2	राजनीतिक विज्ञान	01
3	इतिहास	01
4	भूगोल	01

(यलवंत सिंह रतन)

नोडल प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट

दिनांक 22.08.2022

क्रमांक जीसीजी/2022/2316

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान् आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. नोटिस बोर्ड जिला कलक्टर कार्यालय, नगर परिषद्, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर, बस स्टेड, रेलवे स्टेशन, पंचायत समिति हिन्दुमलकोट, एवं नोटिस बोर्ड महाविद्यालय।
3. संयोजक विद्या संबल योजना समिति महाविद्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

(यलवंत सिंह रतन)

नोडल प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट

कार्यालय:- नोडल प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट श्रीगंगनगर

Email- gchindumalkot@gmail.com, Phone 0154-2440056

विद्या संबल योजना (सत्र 2021-22)
गेस्ट फौकल्टी के लिए पंजीकरण हेतु प्रारूप

आवेदित विषय -.....

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म दिनांक :
4. श्रेणी :
- (SC/ST/OBC/GEN/EWS) :
5. मोबाइल नम्बर :
6. स्थायी पता :
7. मेल आईडी :
8. शैक्षणिक योग्यता : (अंकतालिका प्रति संलग्न करें)



क्र. सं.	उपाधि	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	10वीं					
2	12वीं					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					
5	एम.फिल.					
6	पीएच.डी.					
7	जे.आर.एफ. सहित नेट					
8	नेट					
9	स्लेट/सेट					

9. शोध प्रकाशन (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध अथवा सहकर्मी द्वारा समीक्षित जर्नल) प्रति संलग्न करें।

क्र. सं.	शोध पत्र शीर्षक	शोध पत्रिका का नाम	वर्ष	(ISBN/ISSN No.)
1				
2				
3				

10. शिक्षण अधवा अन्य अनुभव (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

.....
.....
.....
.....

11. पुरस्कार (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

अन्तर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तरीय(अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)

क्र. सं.	पुरस्कार	वर्ष	संस्था का नाम
1			
2			
3			

दिनांक :

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी हूँ। विज्ञप्ति में वर्णित परिपत्र की समस्त शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है एवं मैं उक्त सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता/देती हूँ।
संलग्न दस्तावेजों की सूची (स्वयं प्रमाणित)

1. आधार कार्ड
2.
3.
4.
5.
6.
7.

हस्ताक्षर

(शपथ ग्रहीता)

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान :- कार्यालय प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय,
श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार

शिक्षा-विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमरांक 15011, विषय सम्बन्ध / आवेदन / प्रवेशी / शिक्षा निर्देश / 21/81

दिनांक 14/7/22

उपस्थित: नोडल अधिकारी
समस्त राजकीय महाविद्यालय

विषय - शिक्षा सम्बन्ध योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गैरट फोकल्टी आमंत्रित करने हेतु।
संदर्भ - शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) दिनांक/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30/03/2021

संदर्भ

शिक्षा विभाग के संदर्भित परिपत्र के क्रम में लेख है कि शिक्षा संवर्धन योजना शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापन कार्य हेतु विषय विशेष अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत पदों में शिक्षा पदों पर आवश्यकतानुसार गैरट फोकल्टी के रूप में जगह खोयी गयी (Enabling Scheme) योजना है। इस योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में आरम्भ होने से पूर्व स्वीकृत पदों की सीमा के अन्तर्गत शिक्षा पदों की सीमा तक प्रथम विशेष विषय विशेष में enrolment की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों को खोला तक आवश्यकतानुसार शिक्षा संवर्धन योजना में ही गैरट फोकल्टी का पूर्ण पालन करता हुए एन महाविद्यालयों का वर्ष 2019-2020, 2021 तथा 2022 में नवीन सृजित हुए हैं। इस महाविद्यालय विषय विशेष में स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं में गैरट फोकल्टी से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में शिक्षा निर्देश निम्नानुसार हैं-

1. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था का सुचारु बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा शिक्षा संवर्धन योजना के अन्तर्गत विषय विशेष तथा अनुभवी व्यक्तियों को गैरट फोकल्टी आमंत्रित कर अध्यापन करना हेतु शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) दिनांक/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30/03/2021 में पदों का शिक्षा निर्देश के क्रम में गैरट फोकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के दिनांक 4 (क) में वर्णित स्तर से परिपत्र के दिनांक 5 में वर्णित ढंग संशुद्ध पर वॉन्ट की उपलब्धता की शर्त के अध्यापन की जा सकेंगी।
2. एन महाविद्यालय विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं में अध्यापन गैरट फोकल्टी से सध्यम से करवाया जा सकेंगा।
3. वर्ष 2019-2020, 2021 एवं 2022 में नवीन सृजित महाविद्यालयों में गैरट फोकल्टी की व्यवस्था नोडल महाविद्यालयों द्वारा की जायेगी।
4. प्रमाण में प्रमानी महाविद्यालय शिक्षा नियम 1996 में गैरट फोकल्टी को पद हेतु वर्णित शैक्षणिक परामर्शदाता एवं गैरट फोकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु समस्त 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने का होना आवश्यक है।
5. स्वतंत्रता/संशोधन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भर जाने पर गैरट फोकल्टी की आवश्यकता खत्म होगी। समझी जायगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के हान पर आमंत्रित शिक्षकों का आमंत्रित करने हेतु बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायगा।
6. विशेष परिस्थितियों में किसी महाविद्यालय का विषय विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु शिक्षा संवर्धन योजना में गैरट फोकल्टी की आवश्यकता होने पर आयुक्तालय से गैरट फोकल्टी की अनुमति हेतु मार्ग

की - (a) लक्ष्मी, महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर महाम स्तर से निर्णय लेकर गैरत फौकल्टी व्यवस्था लागू की जा सकती।

7. गैरत फौकल्टी पर आन्तरिक शिक्षक केवल कारलाय की अध्यक्ष पर आयोजन कार्य की व्यवस्था इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सीमा जाना है।

8. एक दिना निर्देश मांग शैक्षणिक वर्ष 2022-23 हेतु ही है।

9. मांग एवं दिना सबल योजना को अन्तर्गत आयोजन करवाने वाली एचडी गैरत फौकल्टी जिन को सबल में मानवीय स्वाहालाय द्वारा निर्देश प्रदान करते हुये आदेशित किया है कि -

" In the meanwhile respondents shall not engage any one else in place of the petitioners in 'Vidhya Sambal Yojna'", मानवीय स्वाहालाय को आदेशित किया है प्रभावी रहने तक मानवीय स्वाहालाय को आदेश की पालना सुनिश्चित की जानी है।

10. दिना सबल योजना को अन्तर्गत पैनल तैयार करने हेतु पीएचडी उपाधिधारकों को सबल में निम्न व्यवधान को अनुसर कार्यवाही की जानी है -

दिनांक 11.07.2009 से पूर्व एमफिल/ पीएचडी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री संबंधित सरधाना को तत्कालीन अध्यापक/सहायक/विनिर्देशकों के द्वारा अभिलेखित होगी और पीएचडी डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नगत शर्तों को पूरा करने के अध्यापक महाविद्यालय में सहायक आचार्य पद भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें गेट/स्टेज/सर्ट न्यूनतम पाठ्यता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी -

- (a) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएचडी प्रदान की गई हो।
- (b) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।
- (c) अभ्यर्थीका मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।
- (d) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हैं जिनमें से कम से कम एक पत्र अदर्भिल जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुये हो।
- (e) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो पेपर सगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हैं।

उपरोक्त (a) से लेकर (e) तक कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/सकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

11. विद्या सबल योजना हेतु पैनल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर संश्लेष विज्ञप्ति प्रस नाट एव सर्वजनिक स्थानों पर सूचना चरमा करनी है, तथा महाविद्यालय के नाटिस बाई एव वेबसाइट पर विस्तृत दिना निर्देश देकर आयोजन आमंत्रित करने है। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते तो पुनः विद्यमान देन से पूर्व नोटिस/जिला स्तरीय महाविद्यालय में प्राप्त आवेदन मनाकर दिना सबल का पैनल तैयार किया जाना है।

12. गैरत फौकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिना निर्देश -

- (A) जिला विभाग का परिपत्र क्र. 4 (क) में वर्णित संस्था प्रदान महाविद्यालय में किया जाना है। इसे वही 2 अक्षर पर आवश्यकता को आकलन करे। शैक्षणिक संस्था के आरम्भ होने से पूर्व ही आवश्यकता को आकलन कर निर्धारित संख्या में संयोजकों को नियुक्त कर दिया जाये।
- (B) आवेदन पत्र की अथवा महाविद्यालयी स्तर / मोडल महाविद्यालय स्तर पर वर्णित वर्णित अनु-आयुक्तों द्वारा प्रकाश के लिए निर्धारित एवं संयुक्त दिशा निर्देश शैक्षणिक संस्थाओं के आदेश पर परीक्षा कर पाठ अभ्यासों की दरीयता सुची के आधार पर वेनल तैयार किया जाये।
- (C) प्रत्येक संस्था हेतु संयुक्त अभ्यासों का विषयवार वेनल तैयार किया जाये एवं प्रत्येक संस्था के विरुद्ध व्यवस्थापक सुचयन 3 अभ्यासों का वेनल तैयार किया जायेगा।
- (D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक संयुक्त या एक संयुक्त के लिये है तथा नवित्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकता।
- (E) इस योजना के तहत गैरस्ट फौजदारी पर रख जाने वाले अभ्यासों से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।
- (F) गैरस्ट फौजदारी के कार्य का संतोषजनक कार्य संस्थापन के आधार पर ही प्रतिभाष सुचयन की कार्यवाही की जायेगी।
- (G) किसी महाविद्यालय में किसी विषय विशेष हेतु यदि कोई भी पत्र प्रस्ताव संयुक्त नहीं लाने पर DRAC प्रान्त जिले के महाविद्यालयों के तैयार वेनल में संशोधन रह अभ्यासों में से परीक्षा क्रम में महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था हेतु कालांतर आधारित गैरस्ट फौजदारी का आवेदन अपने स्तर से किया जाये इसकी सुचना आयुक्तालय प्रेषित करे।
13. वेनल का अनुमोदन पूर्व की भांति संयुक्त निर्देशक एच.आर.डी. की ई-मेल से ही किया जायेगा।
14. विभाग द्वारा विद्या सफल हेतु गलत वर्ष प्रदान शेष निर्देश पूर्वकत रहेगे।

संलग्न -

1. जिला विभाग का परिपत्र क्रमांक 4.6(2) जिला/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021
2. गैरस्ट फौजदारी से लिया जाने वाला शपथ पत्र।
3. वेनल तैयार करने हेतु दरीयता के मानदण्ड।
4. महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 कि संबंधित नियमों की प्रति।
5. प्रभारी अधिकारी, आई टी सेल कृपया अपलोड करे।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

संयुक्त निर्देशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

159
2021

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साधिलेनि/2021

जयपुर, दिनांक 30-03-2021

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये 'विद्या संबल योजना' के संबंध में दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए 'विद्या संबल योजना' लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं -

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर गती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेगा।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

(क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेगा।

अथवा

(ख) जिलारतरीय समिति के माध्यम से :

- I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय मोजल अधिकारी होगा।
- II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार-संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्रान्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैंकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
- II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनेल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिजिट के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनेल तैयार किया जाएगा। यह पैनेल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैंकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :


पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड-III	1 से 8	300/-	21000/-
ग्रेड-II	9 से 10	350/-	25000/-
ग्रेड-I	11 से 12	400/-	30000/-
अनुदेशक	-	300/-	21000/-
प्रयोगशाला सहायक	-	300/-	21000/-

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/-	45000/-
सह आचार्य	1000/-	52000/-
आचार्य	1200/-	60000/-

6. गैस्ट फैंकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैरस्ट फैंकट्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था रवत समाप्त समझी जावेगी।
9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।




(डॉ. पूषी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, राजस्व/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/शिक्षित सहायक समस्त मंत्रालय/राज्य मंत्रालय।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/निजी सचिव/शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्व विभाग/राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकसुख सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार अति. राजस्थान जयपुर।
9. समस्त समुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागप्रमुख/जिला कलेक्टर/सामग्रीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त द्वितीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपायन संस्थाएं।
15. तकनीकी निर्देशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।
16. रजि. पत्रावली।



(दिवल कुमर गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04/2021)

प्रारूप

शपथ-पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
विभाग..... (संस्थान का नाम) में दिनांक.....को
गैस्ट फौकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने.....विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....
.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित
शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु यत्नबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)
विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.....को
अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं
तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख
एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन
पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास,
जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं
यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे
गैस्ट फौकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के
empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही
मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में याद दायर नहीं
करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार
अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/
करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरान्त खान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैरस्ट फौकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक रोशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैरस्ट फौकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैरस्ट फौकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

आरूप

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____
जिला _____ (सम्बन्ध का नाम) मैं दिनांक _____ को गैरत फौजदारी
के रूप में अपनी उपस्थिति द पत्र हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने _____ विभाग/सम्बन्ध द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक _____ के रूप में _____ अथवा आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ प समझ लिया है तथा उनके शर्तों को मान्यता देना स्वीकार करता हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के द्वारा (साधारण वित्तीय एवं सहाय विभाग) विभाग के परिपत्र क्रमांक 46(2) दिनांक 15/01/2021 दिनांक _____ को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी सम्बन्ध सूचनाएं पूर्णतया सत्य है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किए गए सम्बन्ध शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज _____ विभाग द्वारा अपेक्षित व (यथा महत्त्व पत्र को आवेदन पत्र में अंकित हो न्यूनतम शैक्षिक पाठ्यक्रम) पर ध्यान प्राप्त कि विकास जाति विकलांगता भूभूसे स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सत्य है।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गए सम्बन्ध मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कृपया/फार्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैरत फौजदारी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empeliement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विकलांग निधमनुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगा जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानकों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/करती हूँ तो सरथा एक सफल कार्यवाही एवं स्वतंत्र तथा अतिक्रम होगी।
7. यह कि मैं स्थान परिवर्तन का नाम नहीं करूंगा/करूगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से मस्तिष्कान्तरित अवगत हूँ कि जिला रिक्त पद के विकलांग शपथपत्रिका का गैरत फौजदारी पर रखा गया है उस पद के स्थानान्तरण/भर्ती नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भर जाने पर गैरत फौजदारी को स्थगित/स्थल समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक रिक्त पद होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उम्मीद बनायी गयी परीक्षा सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
9. यह है कि मैं यह जराह से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेक्टर पर एक स्थान के लिए है तथा भविष्य में इसका आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैरत फौजदारी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियम/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे कोई सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा सम्बन्धित प्राधिकारी के सामित्वधीन या नियंत्रणधीन किसी निगम या निकास अथवा विभाग द्वारा परावृत्त नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और नही कोई अपराधिक प्रकरण न्यायालय में लदित है।
13. मैं यह समझ लिया है कि निम्न कथने कुशलता दुराचरण अनियमितता तथा काय से अनुपस्थिति की उर्रा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गेस्ट फोकल्टी के रूप में निर्भुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की मापनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार राजकीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा/होउंगी।
15. यह कि मुझे ज्ञान है कि मुक्ति यह व्यवस्था प्रति कालास मानदेय भुगतान पर अधरित है अतः सम्बन्धिता को किसी प्रकार का अवकास देय नहीं होगा।

सापक्षसहित

सत्यापन

मैं सापक्षपूर्वक ध्यान करती हूँ/करती हू कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु सख्या 01 से 15 में वर्णित नियम/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य है मेने इनको भलिभाति पढ तथा समझ लिया है, मेने कुछ भी अनजान व्यक्ति नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असात्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

सापक्षसहित

राजस्थान सरकार
कार्यिक (क-यूप-2) विभाग

कमांक.एफ. 1(2)डीओपी/ए-11/84

जयपुर, दिनांक : 31-1-2018

अभिसूचना

भारत को सक्षिप्त नाम के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा पदसूचि का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

1. सक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में-

(i) विद्यमान खण्ड (घ) को स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(घ) ‘‘आयुक्त/निदेशक’’ से आयुक्त/निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है;”;

(ii) विद्यमान खण्ड (झ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ञ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (झ) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(झ) ‘‘विनियम’’ से समय-समय पर यथासंशोधित और राज्य सरकार द्वारा तथा अंगीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिदकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) विनियम, 2010 अभिप्रेत है।

(iii) खण्ड (ड) में, अंत में अनिव्यक्ति ‘‘और’’ जोड़ी जायेगी; और

८१.

२/२०१८

39. रिक्त पद पर भर्ती के लिए विशेष उपबन्ध और कार्य-भार— (1) अधिचार्यकी, मूल्य भये महाविद्यालयों में पदों के शून्यता या किसी अन्य कारण से खाली में किसी रिक्ति को जेदस सहायक आचार्य के पद पर सीपी भर्ती द्वारा भरा जायेगा और उस पद को, जो कैरियर उन्नति स्कीम (सी.उ.रकी.) के अधीन सहायक आचार्य से सह-आचार्य और सह-आचार्य से आचार्य पर पदोन्नति के पश्चात् रिक्त हो, सीपी भर्ती द्वारा भरी भरा जायेगा।

(2) प्राचार्य, आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य का कार्य-भार सरकार द्वारा समय-समय पर यथासिद्ध मानकों के अनुसार होगा।

11. अनुसूची-1 का प्रतिस्थापन.— उक्त नियमों से संलग्न दिहमान अनुसूची-1 के खान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

11

"अनुसूची-1"

क्र. सं.	पद का नाम	मती की रीति प्रतिपाद सहित	सोधी मती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति/प्रयन किया जाना है	पदोन्नति/प्रयन के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	कम्प्यूटिंग
1	2	3	4	5	6	7
प्रशासनिक पद						
1	आयुक्त/ निदेशक	100% प्रयन द्वारा	-	प्राचार्य/ संयुक्त निदेशक	सम. सं. 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	सर्वकार किसी भी समय जब स्थिति की ऐसी मांग हो, आयुक्त/निदेशक के पद पर किसी भा.प्र.सं. के अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।
अध्यापन पद						
2	महाविद्यालय का प्राचार्य/ संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक)	100% प्रयन द्वारा	-	आचार्य/सह-आचार्य/उप प्राचार्य	(i) आचार्य जो सुरंगत शाखा में पीएचडी डिग्री रखता हो, प्राचार्य के रूप में पदोन्नति का मात्र होगा।	(i) 75% पद सह-आचार्य/उप प्राचार्य के पद से भरे जायेंगे और शेष 25% पद उपलब्ध आचार्यों के पद द्वारा भरे जायेंगे।

	<p>अभिलेख संचय नै किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर कम से कम 65% अंक (या अंकगण पर समस्तुल्य फ्रेड जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली उपयुगी जाती है), या किसी प्रत्यागित विदेशी विश्वविद्यालय से कोई समस्तुल्य डिग्री।</p>			
--	---	--	--	--

41

	<p>को जो या जिन्हें विररविद्यालय अनुदान आवोग (पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) मिनियम 2009 के अनुसार पीएचडी डिग्री प्रदान की गयी है. सहस्यक आचार्य की मती और नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता बत की ओडा से छूट से जायेगी।</p>			
--	---	--	--	--

51

